उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग–6,
संख्याः 1676 / बीस–6 / 01(02)2011,
देहरादून, दिनांकः 02 दिसम्बर, 2015

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, **"भारत का संविधान"** के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिकमित करके उत्तराखण्ड राज्य की अभियोजन अधिकारी सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड अभियोजन अधिकारी सेवा नियमावली, 2015

भाग एक

सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अभियोजन अधिकारी सेवा नियमावली, 2015 है।

(2) यह तुरन्त प्रभावी होगी।

सेवा की प्रास्थिति 2. उत्तराखण्ड अभियोजन अधिकारी सेवा एक राज्य सेवा है, जिसमें समूह 'क' और 'ख' के पद समाविष्ट है।

परिभाषाएं 3. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में:–

(क) " नियुक्ति प्राधिकारी " से उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ख) " भारत का नागरिक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो **"भारत का संविधान"** के भाग–दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये;

(ग) " आयोग"से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;

(घ) " **संविधान**" से **भारत का संविधान** अभिप्रेत है;

(ङ) " **निदेशक**" से निदेशक अभियोजन, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;

(च) " **सरकार**"से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(छ) " **राज्यपाल**"से उत्तराखण्ड का राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ज) " **सेवा का सदस्य**" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रुप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(झ) " **सेवा**"से उत्तराखण्ड अभियोजन अधिकारी सेवा अभिप्रेत है;

(ट) "**मौलिक नियुक्ति**" से सेवा के सवंर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रकिया के अनुसार की गयी हो;

(ठ) " **भर्ती का वर्ष**" से किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग–दो

संवर्ग

सेवा का संवर्ग **4-** (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमे प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाए।

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाये, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी **परिशिष्ट "क"** में दी गई है;

परन्तु यह कि –

(क) राज्यपाल किसी रिक्त पद को बिना भरे छोड़ सकते है या उसे आस्थगित रख सकते है, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा; या

(ख) वह ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थाई पद सृजित कर सकते है,

जिन्हें वह उचित समझे।

भाग–तीन

भर्ती

भर्ती का स्रोत 5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:–

(1) **सहायक अभियोजन अधिकारी**– लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(2) **अभियोजन अधिकारी**– मौलिक रुप से नियुक्त ऐसे सहायक अभियोजन अधिकारियों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रुप में सात वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(3) **ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी**–मौलिक रुप से नियुक्त ऐसे अभियोजन अधिकारियों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रुप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(4) **संयुक्त निदेशक, अभियोजन/संयुक्त निदेशक, विधि**– मौलिक रुप से नियुक्त ऐसे ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारियों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रुप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(5) **अपर निदेशक, अभियोजन/अपर निदेशक, विधि**– मौलिक रुप से नियुक्त ऐसे संयुक्त निदेशक, अभियोजन/संयुक्त निदेशक, विधि में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रुप में दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, श्रेष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

आरक्षण 6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ें वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार प्रदान किया जायेगा।

भाग– चार

अर्हताएं

राष्ट्रीयता 7. सेवा मे किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :–

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो;

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश, केन्या, यूगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवजन किया हो;

परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें;

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग)का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नही किया जायेगा,और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

स्पष्टीकरण– ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अन्तिम रुप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हता 8. सेवा में सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि होनी चाहिये।

अधिमानी अर्हता 9. अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामलें में अधिमान दिया जायेगा, जिसने :–

(क) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो,

(ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' एवं 'सी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

आयु

10. सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु, जिस वर्ष भर्ती की जाय, उस वर्ष की पहली जनवरी को, पद यदि पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किये जाएं और पहली जुलाई को, यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित किये जाएं, 21 वर्ष की हो जानी चाहिये और 42 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिये;

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित –जनजातियों अन्य पिछडा वर्ग और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाय, के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र

11. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियत्रंणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा मे किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नही होगें। इसके अतिरिक्त नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्व व्यक्ति भी पात्र नही होगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

12. सेवा में नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नही होगा जिसकी एक से अधिक़ पत्नियॉ जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक या अधिक पत्नी जीवित हो;

शारीरिक स्वस्थता

13. किसी अभ्यर्थी को सेवा के किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पडने की सम्भावना हो।
किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती से नियुक्ति कें लिये अन्तिम रुप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे चिकित्सा बोर्ड में उपस्थित होकर स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा;

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये जाने वाले अभ्यर्थियो से स्वस्थता

प्रमाण पत्र की अपेक्षा नही की जायेगी।

भाग –पॉच

भर्ती की प्रकिया

रिक्तियो का अवधारण 14. नियुक्ति प्राधिकारी, किसी भर्ती के वर्ष में भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियो के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा ओर उसकी सूचना आयोग को देगा।

सीधी भर्ती की प्रकिया 15. (1) सहायक अभियोजन अधिकारी के पदों के लिये प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिये आयोग द्वारा विज्ञापन मे विहित प्रपत्र मे आवेदन पत्र आंमत्रित किये जायेंगे। आवेदन पत्र भुगतान कर आयोग के सचिव से प्राप्त किये जा सकेंगें।

(2) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में प्रवेश की अनुमति नही दी जायेगी जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश–पत्र न हो।

(3) आयोग लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त होने और सारणीबद्व कर लिये जाने के पश्चात् नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्कता को ध्यान में रखते हुये उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलायेगा, जितने इस सम्बन्ध मे लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुच सके हों। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये अंक लिखित परीक्षा मे उसके द्वारा प्राप्त अंको में जोड़ दिये जायेंगे।

(4) आयोग अभ्यर्थियों को योग्यता के कम में, जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार मे उनके द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो एक सूची तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी योग मे बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अपेक्षाकृत अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची मे उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अनधिक) होगी आयोग नियुक्ति प्राधिकारी को सूची अग्रसारित कर देगा।

चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्राकिया

16. (1) आयोग के कार्यक्षेत्र के बाहर के पदों पर पदोन्नति द्वारा, जैसा की परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट है, चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, जो निम्नानुसार गठित की जायेगी :–

(क) प्रमुख सचिव गृह, उत्तराखण्ड सरकार — अध्यक्ष;

(ख) विधि परामर्शी उत्तराखण्ड सरकार या उनका नाम–निर्दिष्ट व्यक्ति, जो सयुक्त विधि परामर्शी के स्तर से नीचे का न हो, — सदस्य;

(ग) सचिव कार्मिक उत्तराखण्ड सरकार या उनका नाम–निर्दिष्ट व्यक्ति, जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे का न हो, — सदस्य;

(घ) चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा नामित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई अधिकारी, जो सचिव के निम्न स्तर का न हो। —सदस्य;

(ड़) निदेशक, अभियोजन उत्तराखण्ड — सदस्य;

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूची उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 2002 के अनुसार तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजिकाओं और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो उचित समझे जाय, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उपनियम (3) मे निर्दिष्ट अभिलेखें के आधार पर अभ्यर्थियो के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियो का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की एक सूची चयन के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

चयन पदोन्नति हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा कार्मिक

17. उत्तरांचल विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों के लिये) नियमावली, 2002 में निहित व्यवस्था के अनुसार अपर विभागाध्यक्ष के पदों पर चयन कार्मिक विभाग द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा, जो कि

विभाग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकिया

निम्नानुसार गठित होगी:–

1.	मुख्य सचिव	–	अध्यक्ष
2.	सचिव, कार्मिक विभाग	–	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग	–	सदस्य

भाग छः

नियुक्ति, परिवीक्षा, प्रशिक्षण, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

18. (1) रिक्तियॉ होने पर नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नामों को उसी कम मे लेकर जिसमे उनके नाम यथास्थिति नियम 15, 16 या 17 के अधीन तैयार की गयी सूचियों में हो नियुक्तियां करेगा।

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाये तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमे व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठता कम में किया जायेगा, जैसा कि यथास्थिति, चयन में अवधारित की जाय या जैसा कि उस संवर्ग में हो जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय।

परिवीक्षा

19. (1) सेवा में किसी भी पद पर मौलिक रुप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेगे, अलग–अलग मामलों में, परिवीक्षा अवधि को बढा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विर्निष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढायी जाय;

परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति मे दो वर्ष से अधिक नही बढ़ाई जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नही किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(4) उपनियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया

जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जाय, वह किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजन के लिये गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

प्रशिक्षण 20. सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति से परिवीक्षा अवधि के दौरान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र या ऐसे अन्य स्थान पर जैसा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित किया जाय, छः मास का प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जायेगी।

स्थायीकरण 21. (1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति मे स्थायी कर दिया जायेगा; यदि–

(क) उसने विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया हो,

(ख) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक बताया जाय,

(ग) उसकी सत्यानिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

(घ) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाए कि वह स्थायीकरण के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

(2) जहाँ उत्तराखण्ड सरकार द्वारा यथासंशोधित सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 2002 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक न हो तो वहां उस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन घोषणा करते हुए यह आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता 22. मौलिक रुप से नियुक्त व्यक्तियो की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 समय–समय पर यथासंशोधित के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग–सात

वेतन इत्यादि

वेतनमान

23. (1) सेवा मे विभिन्न श्रेणियेा के पदों पर चाहे मौलिक या स्थानापन्न रुप मे या अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर विहित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान **परिशिष्ट 'ख'** में दिया गया है।

परिवीक्षा अवधि में वेतन

24. (1) मूल नियम में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुये भी, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा मे न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्वि तभी दी जायगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो;

परन्तु यह कि यदि सन्तोष प्रदान न करने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्वि के लिये नही की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत मौलिक नियमों द्वारा विनियमित होगा;

परन्तु यह कि यदि सन्तोष प्रदान न करने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना, वेतन वृद्धि के लिये नही की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग–आठ

अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

25. किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित संस्तुति से भिन्न किसी अन्य संस्तुति पर चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नही किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन 26. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रुप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हो, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध मे सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों विनियमों और आदेशों द्वारा नियन्त्रित होंगे।

सेवा की शर्तो में शिथिलता 27. जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामलें में अनुचित कठिनाई होती है वहाँ वह उस मामलें में लागू नियमों में किसी बात के होते हुये भी आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उसी सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामलें में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है;

परन्तु यह कि जहाँ कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो वहॉ उस नियम की अपेक्षाओं को अभिमुक्त या शिथिल करने के पूर्व उस निकाय से परामर्श किया जायेगा।

व्यावृत्ति 28. इस नियमावली में किसी बात का ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा, जिनकी सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किये गयें आदेशों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियो के अभ्यर्थियों के लिये व्यवस्था किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

(डॉ0 उमाकान्त पंवार)
प्रमुख सचिव।

परिशिष्ट 'क'

{नियम 4 का उपनियम (2) देखिये}

उत्तराखण्ड अभियोजन अधिकारी सेवा में प्रत्येक श्रेणी की सदस्य संख्या और पदों की संख्या

कम सं0	पदनाम	पद संख्या		योग
		अस्थायी	स्थायी	
1	2	3	4	5
1	अपर निदेशक/अपर निदेशक विधि	—	01	01
2	संयुक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक विधि	—	07	07
3	ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी	—	11	11
4	अभियोजन अधिकारी	—	25	25
5	सहायक अभियोजन अधिकारी	—	91	91
	कुल योग		135	135

परिशिष्ट 'ख'

{नियम 23 का उपनियम (2) देखिये}

उत्तराखण्ड अभियोजन अधिकारी सेवा में प्रत्येक श्रेणी के वेतनमान

क0 सं0	पद नाम	वेतनमान (रु0 में)	ग्रेड पे (रु0 में)
1	2	4	5
1–	सहायक अभियोजन अधिकारी	9300–34800	4600
2–	अभियोजन अधिकारी	15600–39100	5400
3–	ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी	15600–39100	6600
4–	संयुक्त निदेशक अभियोजन/संयुक्त निदेशक (विधि)	15600–39100	7600
5–	अपर निदेशक अभियोजन/अपर निदेशक (विधि)	37400–67000	8700

आज्ञा से,

(डॉ0 उमाकान्त पंवार)
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of **"the Constitution of India"** the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. /XX-6/-01(02)/2011 Dehradun, Dated ..... for general information.

Government of Uttarakhand
Home Section-6
No.1676 /XX- 6/ 01(02)/2011
Dehradun: Dated: 02 December, **2015**

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of "**the Constitution of India"**, and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and the conditions of service of persons appointed to the Uttarakhand Prosecuting Officers Service.

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARAKHAND PROSECUTING OFFICERS SERVICE RULES, 2015

Part I

General

Short title and commencement **1.** **(1)** These rules may be called the Uttarakhand Prosecuting Officers Service Rules, 2015.

(2) it shall come into force at once.

Status of service **2.** The Uttarakhand Prosecuting Officers Service is a State Service comprising Group 'A' and 'B' posts

Definitions **3.** In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context,

(a) **"Appointing Authority"** means the Governor;

(b) **"Citizen of India"** means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of "**the Constitution of India**";

(c) **"Commission"** means the Uttarakhand Public Service Commission;

(d) **"Constitution"** means "**the constitution of India"** ;

(e) **"Director"** means the Director of Prosecution Uttarakhand ;

(f) **"Government"** means the Government of Uttarakhand;

(g) **"Governor"** means the Governor of Uttarakhand;

(h) **"Member of the Service"** means a person substantively appointed under these rules or rules or orders in force prior to the commencement of these rules, to a post in the cadre of the Service;

(i) **Service"** means the Uttarakhand Prosecuting Officers service;

(j) **"Substantive appointment"** means an appointment, not being *an* adhoc appointment, on a post in the cadre of the Service; made after selection in accordance with the rules, and if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government; and

(k) **"Year of recruitment"** means the period of twelve months commencing from the first day of July of a Calendar Year.

Part II

Cadre

Cadre of service

4. **(1)** The strength of the Service and of each category of posts therein shall be such as may be determined by the Governor from time to time.

(2) The strength of the Service and of each category of posts there in, shall until orders varying the same are passed under sub-rule (1), as given in **appendix 'A'**;

Provided that :-

(a) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post without there by entitling any person to compensation,

(b) the Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

Part- III

Recruitment

Source of recruitment

5. Recruitment to the various categories of posts in the Service shall be made from the following sources :-

(1) Assistant Prosecuting Officer- By Direct recruitment through the Public Services Commission .

(2) **Prosecuting Officer-** By promotion from amongst substantively appointed Assistant Prosecuting Officers, who have completed seven years of service as such on the first day of the year of recruitment, On the basis of seniority subject to the rejection of unfit. Through the Selection Committee.

(3) **Senior Prosecuting Officer-** By promotion, from amongst substantively appointed Prosecuting Officers, who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment, On the basis of seniority subject to the rejection of unfit. Through the Selection Committee.

(4) **Joint Director, Prosecution / Joint Director, Law-** By promotion, from amongst substantively appointed Senior Prosecuting Officers, who have completed three years services as such on the first day of the year of recruitment, On the basis of seniority subject to the rejection of unfit. Through the Selection Committee.

(5) **Additional Director, Prosecution /Additional Director, Law** - By promotion, through the Selection Committee, On the basis of merit from amongst substantively appointed Joint Director (Law) /Joint Director Prosecution\, who have completed two years service as such on the first day of the year of recruitment.

Reservation

6. Reservation for candidates belonging Scheduled Castes, Schedule Tribes, Other Backward Classes and other Categories to the State of Uttarakhand shall be made in accordance with the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

Part –IV

Qualifications

Nationality

7. A candidate for direct recruitment to a post in a Service must be, -

(a) a citizen of India; or

(b) a Tibetan refugee who came over to India before January 1, 1962 with the intention of permanently settling in India, or

(c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African Countries of Kenya, Uganda and the

United Republic or Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India;

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government;

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtained a certificate of eligibility granted by the Director General of Police, Intelligence Branch, Uttarakhand;

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibilty will be issued for a period more than one year and the retention of such candidate in service beyond the period of one year shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

Note - A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

Academic Qualifications **8.** A candidate for direct recruitment to the post of Assistant Prosecuting Officer must passes a Degree in Law from a recognized University.

Preferential qualification **9.** A candidate, who has -

(a) served in the Territorial Army for a minimum period of two years; or

(b) obtained 'B' certificate of the National Cadet Corps, shall, other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.

Age **10.** A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 42 years on the first day of the year in which vacancies for direct recruitment are advertised by the commission;

Provided that the upper age limit in case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and such other category to the State of Uttarakhand as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

Character **11.** The character of a candidate for direct recruitment to post in the Service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government service. The appointing authority shall satisfy itself on this point.

Note - Persons dismissed by Union Government or State Government or a Local Authority or by a Corporation or a Body owned or controlled by the Union Government or State Government shall be ineligible for appointment to any post in the service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

Marital Status **12.** A male candidate, who has more than one wife living or a female candidate, who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the Service;

Physical fitness **13.** No candidate shall be appointed to a post in the Service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required to pass an examination by a Medical Board;

Provided that a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

Part- V

Procedure for Recruitment

Determination of vacancies **14.** The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of year and also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories to the State of Uttarakhand under rule 6, and the vacancies intimated to the Commission.

Procedure for direct recruitment **15. (1)** Application for permission to appear in the competitive examination for the post of Assistant Prosecuting Officers shall be invited by the Commission in the prescribed profroma issued by the Commission in the advertisement.

(2) No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission issued by the Commission.

(3) After the result of the written examination have been received and tabulated, the Commission shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories to the State of Uttarakhand under rule 6, summon for interview such number of candidates as, on the results of the written examination have come up to the standard fixed by the Commission in this respect. The marks, awarded to each candidate at the interview shall be added to the marks obtained by him in the written examination.

(4) The Commission shall prepare a list of candidates in order of merit as disclosed by the aggregate of the marks obtained by them in the written examination and interview. If two or more candidates obtained equal marks in the aggregate, the name of the candidate obtaining higher marks in the written examination shall be placed higher in the list. The number of names in the list shall be more (but not more than 25 percent) then the number of vacancies. The Commission shall forward the list to the Appointing Authority.

Procedure For Recruitment by promotion through the Selection Committee

16. (1) Recruitment by promotion to the posts of outside the purview of commission shall be made through selection committee comprising :-

(a) Principal Secretary, Home, Government of Uttarakhand . - Chairman;

(b) Legal Remembrance to the Government or his nominee not below the rank of Joint Legal Remembrance; - Member;

(c) Secretary to the Government in personnel Department or his nominee not below the rank of Joint Secretary. - Member;

(d) The SC/ST Officer nomited by Chairman of Selection committee not below the rank of Secretary. - Member;

(e) Director Prosecution of Uttarankhand. - Member;

(2) The Appointing Authority shall prepare an eligibility list of the candidates in accordance with the Uttrakhand Promotion by Selection (on the posts outside the Purview of the Public Service Commission) Eligibility List Rules, 2002 and place it before the relevant Selection Committee along with their Character Rolls and such other records pertaining to them, as may be considered proper.

(3) The Selection Committee shall consider the cases of the candidates on the basis of the records, referred to in sub-rule (3) and if it considers necessary, it may interview the candidates also.

(4) The Selection Committee will prepare a list of the selected candidates arranged in accordance with the orders of the Government in force at the time of selection and forward the same to the Appointing Authority.

The Procedure for Recruitment by promotion through the Committee by Personal department chairmenship by Chief Secretary

17. The Constitution of Departmental Promotion committee (for post outside the Purview of the Public Service Commission) under Rules 2002. By the Personnel Department of Recruitment For the post of Additional Head of the Department shall Constituted by Chief Secretary as follows:-.

1- Chief Secretary. - Chairman;
2- Secretary Personnal - Member;
3- Principal Secretary/ Secretary Home Department. - Member;

Part – VI
Appointment, Probation, Confirmation and Seniority

Appointment

18. (1) On the occurrence of vacancies. the appointing authority shall make appointment by taking the names of the candidates in the order in which they stand in the lists prepared under Rules 15, 16, or 17 as the case may be.

(2) If more than one orders of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection or as the case may be, as it stood in the cadre from which they were promoted.

Probation

19. (1) A person substantively appointment to a post in the Service shall be placed on probation for a period of 2 years.

(2) The appointing authority may, for reasons to be recorded extended period of probation in individual cases specifying the date up to which the extension is granted;

Provided that save in some exceptional circumstances the period of probation shall not be extended for more than one year and in no circumstance beyond two years.

(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post his services may be dispensed with.

(4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3), shall not be entitled to any compensation.

(5) The appointing authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre of the Service or any other equivalent or higher post to be taken into account in computing the period of probation.

Training **20.** During the period of probation a person appointed to the post of Assistant Prosecuting Officer shall be required to under go training for six months at the Police Training Centre, or at a such other place as may be decided by the Appointing Authority.

Confirmation **21. (1)** Subject to the provisions of sub-rule (2), a probationer shall be confirmed in his appointment at the end of period of probation or the extended period of probation if---

(a) he his successfully under gone the prescribed training;

(b) his work and conduct are reported to be satisfactory,

(c) his integrity is certified, and

(d) the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

(2) Where in accordance with provisions of the Uttrakhand state Government Servants confirmation Rules 2002 confirmation is not necessary the order under sub- rule(3) of rule 5 of those rules declaring that the person concerned has successfully completed the probation shall be deemed to be the order of confirmation.

niority

22. The seniority of persons substantively appointed in any category of posts shall be determined in accordance with the Uttrakhand Government Servants seniority Rules, 2002 as amended from time to time.

Part - VII-

Pay etc.

Scales of Pay

23. (1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the Service whether in substantive or officiating capacity or as a temporary measure, shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scales of pay at the time of commencement of these rules are as given in **Appendix 'B'**.

Pay during probation

24. (1) Notwithstanding any provision in Fundamental Rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government Service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service, has passed departmental examination and undergone training, where prescribed and second increment after two years of service when he has completed the probationary period and is also confirmed;

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfactions, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of person who was already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant Fundamental Rules;

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant Rules, applicable generally to Government Servants serving in connection with the affairs of the State.

Part VIII

Other provisions

Canvassing **25.** No recommendations, either written or oral other than those required any post or Service under the rules, shall be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to list support, directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment

Regulation of other matters **26.** In regards to matters not specifically covered by these rules or by special orders, persons appointed to the Service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

Relaxations from services conditions **27.** Where the State Government is satisfied that operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the Service causes undue hardship in any particular case, it may notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner;

Provided that where the rule was framed in consultation with the Commission that Body shall be consulted before the requirements of that rule are dispensed with or relaxed.

Saving **28.** Nothing in these rules affect reservation and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons to the State of Uttarakhand in accordance with orders issued by the Government from time to time in this regard.

By Order,

(Dr. Umakant Panwar)
Principal Secretary.

APPENDIX 'A'

[See sub-rule (2) of section 4]

Strength of Service and number of posts of each category in Uttrakhand Prosecuting Officers Service

S. No.	Name of post	No. of post		Total
		Permanent	Temporary	
1	2	3	4	5
1	Additional Director (Law)/ Prosecution	01	--	01
2	Joint Director (Law)/Prosecution	07	--	07
3	Senior Prosecuting Officer	11	--	11
4	Prosecuting Officer	25	--	25
5	Assistant Prosecuting Officer	91	--	91
	TOTAL	**135**	--	**135**

APPENDIX 'B'

[See sub-rule (2) of section 23]

Pay scale of each category in Uttrakhand Prosecuting Officers Service

S.No.	Name of post	Pay Scale	Grade pay
1	2	3	4
1	Assistant Prosecuting Officer	9300-34800	4600
2	Prosecuting Officer	15600-39100	5400
3	Senior Prosecuting Officer	15600-39100	6600
4	Joint Director(Law)/Prosecution	15600-39100	7600
5	Additional Director (Law)/Prosecution	37400-67000	8700

By Order,

(Dr. Umakant Panwar)
Principal Secretary.